

आधार से लेनदेन की सुविधा जल्द

नई दिल्ली। केंद्र सरकार जल्द ही आधार से लेनदेन की सुविधा शुरू करेगी। इसके जरिए लोग अपने आधार नंबर और बायोमेट्रिक्स का उपयोग कर भुगतान कर सकेंगे और धन हासिल कर सकेंगे। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शुक्रवार को कहा कि आधार भुगतान के लिए 14 बैंक साथ आए हैं और अन्य से बातचीत हो रही है।

➤ ब्योरा पेज 15

आधार से जरूरी सेवाओं के लिए भुगतान जल्द

नई दिल्ली | विशेष संवाददाता

सरकार जल्दी ही आधार भुगतान सेवा शुरू करेगी। शुरुआती तौर पर इससे सभी तरह की अधिसूचित सेवाओं के लिए भुगतान किया जा सकेगा। इसके जरिये लोग अपनी आधार संख्या और बायोमेट्रिक्स का उपयोग कर भुगतान एवं धन प्राप्त कर सकेंगे।

आधार केंद्रों पर शुल्क वसूली की जांच होगी : आधार केंद्रों पर लोगों से आधार पंजीकरण के बदले सौ से तीन सौ रुपये की शुल्क वसूली पर प्रसाद ने कहा कि इस मामले की जांच कराई जाएगी कि यह शुल्क क्यों लिया जा रहा है।

कैसे होगा भुगतान

- भुगतान स्वीकार करने के लिए सबसे दुकानदार को आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम (ईपीएस) एप पर आधार के साथ रजिस्टर कराना होगा।
- अब ग्राहक से किसी भी तरह की भुगतान राशि पाने के लिए उसकी आधार संख्या, बैंक का नाम और राशि की जानकारी लेनी होती है।
- इस पर एप में भुगतान प्रक्रिया जारी रहने या रद्द करने का विकल्प आता है। प्रक्रिया को चुनने पर एप ग्राहक की ऊंगलियों के निशान मांगता है। सत्यापन होने पर राशि ग्राहक के आधार से जुड़े बैंक खाते से दुकानदार के आधार से जुड़े बैंक खाते में चली जाती है।



क्या है ईपीएस मशीन

आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम (ईपीएस) एक तरह की माइक्रो एटीएम मशीन है जो पीओएस मशीन की तरह ही है। अंतर महज इतना है कि पीओएस से भुगतान के लिए जहां क्रेडिट-डेबिट कार्ड और पिन नंबर की जरूरत होती है, वहीं, ईपीएस में केवल ग्राहक की फिंगर प्रिंट जरूरी है।

हम आधार भुगतान शुरू करने जा रहे हैं। इसके साथ लोगों को भुगतान के लिए अपना फोन देने की आवश्यकता नहीं होगी। लोग सत्यापन के लिए बायोमेट्रिक्स का उपयोग कर सकेंगे।

-रवि शंकर प्रसाद
आईटी मंत्री



आधार भुगतान के लिये 14 बैंक तैयार

सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) मंत्री ने कहा कि आधार भुगतान के लिए 14 बैंक तैयार हैं। अन्य बैंकों के साथ भी बातचीत चल रही है। यूपीआई का उपयोग कर भी एप को भी आधार युक्त भुगतान प्रणाली से एकीकृत किया गया है।

बढ़ता आधार

111 करोड़ लोगों के पास आधार संख्या है देश में

49 करोड़ बैंक खाते आधार से जुड़े चुके हैं फिलहाल

2 करोड़ खातों को आधार से जोड़ा जा रहा है हर महीने